

## 9- chtxke ;kstuk

mnns ; %&

कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता प्रशिक्षण तथा अधोसंरचना का विकास करना।

iko/kku %&

| क्र. | घटक का नाम         | इकाई   | घटक में प्रावधान  |
|------|--------------------|--------|---|
| 1    | 2                  | 3      | 4   |
| 1    | प्रमाणित बीज वितरण | हे.    | आधा एकड़ भूमि के लिये 50 प्रतिषत अनुदान पर बीज कृषकों को उपलब्ध कराना   |
| 2    | कृषक प्रशिक्षण     | संख्या | 100 कृषकों को तीन चरणों में प्रशिक्षण पर 15000=00 व्यय का प्रावधान  |
| 3    | अनाज भण्डार कोठी   | संख्या | अनु.जा.,अनु.ज.जा. के कृषकों को 35 प्रतिषत अधिकतम 1500=00 रु. एवं सामान्य वर्ग के कृषकों को 25 प्रतिषत अधिकतम 1000=00 रु. भण्डार कोठी खरीदने पर अनुदान का प्रावधान |

dku ykhk ys l drk g\$ \

योजनांतर्गत चयनित ग्रामों के चयनित सभी वर्ग के कृषक प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर लाभ ले सकते हैं।

;kstuk dk ykhk d\$ s ya %&

1- fdl l s l Eidl dja %& क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क करें।

2- vkou ik: i dgkwl s iklr dja %& आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के द्वारा आवेदन का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है।

3- vkou djus dk rjhdk %& निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

4- vko'; d nLrkost %& बी-1 या किस्तबंदी की नकल मूल प्रति आदि आवेदन के साथ संलग्न करना पड़ता है।

---